उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज

UPESSC, PRAYAGRAJ

प्राचार्य (**Principal**) चयन परीक्षा 2026

विज्ञापन संख्या– 02/2026

उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, 23 एलनगंज,

प्रयागराज–211002

www.upessc.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज, प्रयागराज–211002

विषय–सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं0
1.	महत्वपूर्ण तिथियाँ	2
2.	ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना	2–3
3.	परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश	3–4
4.	आवेदन शुल्क	4
5.	रिक्तियों का विवरण	4
6.	आरक्षण, आयु सीमा तथा वेतनमान	4
7.	पात्रता तथा अवधि	4–5
8.	परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम एवं API	5
9.	लिखित परीक्षा सम्बन्धी निर्देश	5–6
10.	अधिमानता	6–7
11.	साक्षात्कार के लिए निर्देश	7–8
12.	सारणी 01 : स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पुरुष/महिला) एवं स्नातक महाविद्यालय (पुरुष/महिला) में रिक्त पदों का विवरण	9–13
13.	परिशिष्ट 1 : पाठ्यक्रम	14–15
14.	परिशिष्ट 2 : शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (**API**) प्रारूप	16–18
15.	परिशिष्ट 3 : दिव्यांगता प्रमाण–पत्र का प्रारूप	19–20
16.	परिशिष्ट 4 : साक्षात्कार के समय प्रस्तुत की जाने वाली महाविद्यालयों की अधिमानता/वरीयता क्रम का प्रारूप	21–22
17.	परिशिष्ट 5 : महिला उम्मीदवार जो स्नातकोत्तर व स्नातक महिला विद्यालयों में नियुक्ति की इच्छुक नहीं हैं, संबंधी घोषणा पत्र।	23
18.	परिशिष्ट 6 : शपथ–पत्र का प्रारूप	24

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज, प्रयागराज–211002

<u>विज्ञापन संख्या : 02 / 2026</u>

1. <u>महत्वपूर्ण तिथियाँ</u> :–

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	**21.07.2026**
ऑनलाइन पंजीकरण (O.T.R.) / आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	**21.07.2026**
ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	**20.08.2026**
ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि	**23.08.2026**
परीक्षा तिथि	**24.09.2026**

2. <u>ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना</u> :–

2.1 आयोग के विज्ञापन सं0–02 / 2026 द्वारा प्रदेश के अशासकीय अनुदानित सह–शिक्षा महाविद्यालयों व महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त कुल 111 पदों का विवरण जो सारणी 01 में दिया गया है, के सापेक्ष चयन हेतु, भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त समस्त रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है।

2.2 प्रश्नगत प्राचार्य पद हेतु OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन पद्धति (OTR Based Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएँगें। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट **www.upessc.up.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को One Time Registration(OTR) करना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही आवेदन किया जा सकेगा।

2.3 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए User Manual हिन्दी व अंग्रेजी में तथा प्रशिक्षण वीडियो (Tutorial Videos) आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आवेदन करने से पूर्व देखा जा सकता है।

2.4 **ऑनलाइन आवेदन "फाइनल सबमिट" हो जाने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेन्डर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही–सही भरें। ऑनलाइन प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अन्तिम हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।**

2.5 आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में पृथक से कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करना चाहिये जब वे सन्तुष्ट हो जाएँ कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।

2.6 निर्धारित साइज की फोटो तथा स्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड न करने एवं घोषणा–पत्र स्वीकार न करने पर अभ्यर्थी का आवेदन / अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

2.7 आवेदन–पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने या 01 जुलाई, 2026 को 62 वर्ष से अधिक आयु होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2.8 प्राचार्य पद के प्रश्नगत अधियाचन में दिव्यांग अभ्यर्थियों की O.A./O.L./B./B.A./L.V./D./H.H. /L.C./D.W./A.A.V. उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।

2.9 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गयी घोषणा (Declaration) सत्य नहीं पाये जाने पर **अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए** आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयन/परीक्षाओं से प्रतिवारित (डिबार) करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

2.10 आवेदन स्वीकार किये जाने की **अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अनिवार्य अर्हताएँ** अवश्य धारित करनी चाहिए। अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भलीभाँति सुनिश्चित कर लें कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं, उसके लिए विज्ञापन में दी गयी सभी अर्हताएं धारित करते हैं। पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं से कम योग्यताधारी अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2.11 हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

2.12 अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भाषा में भरा जाना है। API प्रोफार्मा भरते समय आंग्ल (Roman) लिपि का प्रयोग किया जा सकता है।

2.13 आवेदन पत्र में त्रुटि निवारण हेतु संशोधन करने का अवसर मिलेगा, जो आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक किया जा सकता है। त्रुटिपूर्ण आवेदन करने पर आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन ''सबमिट'' करने की दशा में अन्तिम आवेदन ही स्वीकार्य होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जायेंगे।

2.14 अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ स्कैन करके JPG या JPEG फार्मेट में अपलोड करना होगा, जिसका साइज 10 KB से 200 KB के बीच हो तथा 140X110 Pixel का Resolution हो। इसी प्रकार पासपोर्ट साइज फोटो, जिसकी साइज 30 KB से 300 KB के बीच हो तथा Pixel Resolution 300 से 600 के बीच हो भी अपलोड़ करना होगा।

2.15 सभी अपलोड किये जाने वाले प्रमाण–पत्र/अभिलेख PDF Format में होने चाहिए तथा उनकी साइज 50 KB से 500 KB के बीच होनी चाहिए।

2.16 आवेदन पत्र पूरी तरह भरने के पश्चात **प्रस्तर–4** में उल्लिखित शुल्क जमा करना होगा।

2.17 अभ्यर्थी आवेदन पत्र आनलाइन सबमिट करके उसकी तीन प्रतियाँ भविष्य हेतु सुरक्षित रख लें, जिनमें से दो प्रतियाँ साक्षात्कार के समय **प्रस्तर–11.6** में उल्लिखित अभिलेखों के साथ अलग–अलग 2 सेट तैयार कर आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

2.18 किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गयी है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयन से उसे प्रतिवारित (डिबार) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

2.19 अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

3. परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश :–

3.1 अभ्यर्थी पोर्टल पर उपलब्ध निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन करते हुए परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग।

3.2 अभ्यर्थी क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करने के लिए पंजीकरण के तुरंत बाद पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उपयोग कर अपने शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

3.3 क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से शुल्क का भुगतान करने की दशा में भुगतान की पुष्टि भुगतान के बाद बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है। भुगतान की पुष्टि बैंक द्वारा किये जाने के उपरांत ही परीक्षा शुल्क का भुगतान मान्य होगा।

3.4 शुल्क भुगतान करने के उपरान्त शुल्क प्राप्ति रसीद को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी One Time Registration व भुगतान कम्पलीट करने के पश्चात आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक पूर्ण नहीं करता तो उसका आवेदन मान्य नहीं होगा।

4. आवेदन शुल्क :–

उक्त पद हेतु परीक्षा शुल्क निम्नवत निर्धारित है :–

क्र0सं0	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1.	सामान्य/अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य	**3,000.00**
2.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	**3,000.00**
3.	दिव्यांगजन	**3,000.00**

5. रिक्तियों का विवरण :–

5.1 सह शिक्षा महाविद्यालयों के 89 एवं महिला महाविद्यालयों के 22 रिक्त पदों (कुल 111) का विवरण, जो शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराया गया है, सारणी–01 पर उपलब्ध है।

5.2 रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

6. आरक्षण, आयु सीमा तथा वेतनमान :–

6.(क) आरक्षण :– शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राचार्य के 111 पदों के अधियाचन में सभी श्रेणियों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण की सूचना शून्य है।

6.(ख) आयु सीमा :– प्राचार्य पद की अधिकतम आयु सीमा (दिनांक 01 जुलाई, 2026 को) 62 वर्ष निर्धारित है।

6.(ग) वेतनमान :– वेतनमान : (लेवल–14) रु0 144200.00 से 218200.00

7. पात्रता तथा अवधि :–

(क) पात्रता :–

i) पीएचडी की उपाधि।

ii) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में कम से कम पंद्रह वर्षों के शिक्षण/अनुसंधान की सेवा/अनुभव के साथ कोई आचार्य/सह आचार्य।

iii) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि०अ०आ० सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम 10 अनुसंधान प्रकाशन।

iv) तालिका 2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक।

नोट :– विधि महाविद्यालयों के प्राचार्य पद हेतु पात्रता पर विचार करते समय बार काउंसिल ऑफ इण्डिया तथा शिक्षक प्रशिक्षण (बी०एड०) महाविद्यालयों के प्राचार्य पद हेतु पात्रता पर विचार करते समय **NCTE** के मानदण्डों को संज्ञान में लिया जायेगा।

(ख) <u>अवधि</u> :—

i) किसी महाविद्यालय प्राचार्य को पांच वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसका कार्यकाल इन विनियमों के अनुसार इस विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर पांच वर्ष की दूसरी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ii) प्राचार्य के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात, पदधारी, आचार्य के ग्रेड में आचार्य के पदनाम के साथ अपने मूल कार्यालय में पुनः कार्यभार ग्रहण करेगा।

8. <u>परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम एवं **API**</u> :—

8.(क) <u>परीक्षा योजना</u> :—

- प्राचार्य के पद पर चयन हेतु 360 अंक की लिखित परीक्षा (120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित) होगी, साक्षात्कार 40 अंक का होगा। न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक (Research Score) अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को ही प्राचार्य पद के लिये अर्ह माना जायेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर दिये जाने पर 3 अंक देय होगा तथा गलत/एकाधिक उत्तर दिये जाने के लिए एक अंक घटा (Minus Marking) दिये जायेंगे।
- आयोग की नीति के अनुसार लिखित परीक्षा के कटऑफ एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

8.(ख) <u>पाठ्यक्रम</u> :—

प्राचार्य पद के चयन हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसे **"पाठ्यक्रम देखे"** बटन पर क्लिक करके देखा व डाउनलोड किया जा सकता है। (परिशिष्ट—1)

8.(ग) <u>शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (**API**)</u> :—

प्राचार्य के पदों के लिए परिशिष्ट—2, तालिका—2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक अनिवार्य है। प्रारूप **परिशिष्ट—2** पर उपलब्ध है।

9. <u>लिखित परीक्षा सम्बन्धी निर्देश</u> :—

9.1 परीक्षा की तिथि, स्थान, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थियों को SMS, ई मेल, समाचार पत्र व वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

9.2 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के पोर्टल www.upessc.up.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को मुख्य पृष्ठ पर दिए गए "Admit Card Download" बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा जन्म तिथि अंकित करनी होगी। यदि अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए अर्ह अभ्यर्थियों की सूची में है तथा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा की तिथि निश्चित की जा चुकी है तो अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र प्रदर्शित हो जाएगा, जिसे अभ्यर्थी को डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा।

9.3 **आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगे, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दी गयी हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।**

9.4 कदाचार अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर

अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं मे प्रतिवारित किया जा सकता है।

9.5 अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में काला बाल प्वाइंट पेन अपने साथ अवश्य लाएगें तथा ओ0एम0आर0 शीट के आयताकार खानों व गोलों को काले बाल प्वाइंट पेन सें ही भरेंगे। काले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के बाल प्वाइन्ट पेन, फाउन्टेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, एच.बी. पेन्सिल एवं सफेदा (Whitener) का प्रयोग वर्जित है। एक बार गोला भरे जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। उसका न तो मूल्यांकन होगा और न उस पर कोई अंक ही दिये जाएगें।

9.6 परीक्षा के दौरान ओ० एम०आर० शीट पर मिटाने के लिए इरेजर/नाखून/ब्लेड/सफ़ेद तरल पदार्थ/(Whitener) आदि का प्रयोग या किसी अन्य प्रकार से क्षति ग्रस्त किया जाना निषिद्ध है। इनके किसी भी प्रयोग से ओ०एम०आर० शीट निरस्त हो जायेगी तथा ऐसी ओ०एम०आर० शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

9.7 ओ०एम०आर० शीट पर अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक, विषय का सही कोड, प्रश्न पुस्तिका संख्या व सीरीज साफ–साफ लिखें अन्यथा ओ०एम०आर० शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

9.8 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 एवं 08 सितम्बर, 2022 के अनुसार श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा दी जायेगी। श्रुतलेखक अभ्यर्थी अपने साथ लायेगा। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी सम्पूर्ण विवरण सहित अपना पंजीयन आयोग कार्यालय में लिखित परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व अवश्य करा लें, ताकि उनकी बैठने की समुचित व्यवस्था केन्द्रों पर यथासमय की जा सके। उक्त अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। श्रुतलेखक को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

9.9 लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो लें कि वे यू०जी०सी०/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी करते हैं। निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी न करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित न हों, क्योंकि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र सें अथवा लिखित परीक्षा में सफल होने मात्र सें प्राचार्य पद पर अन्तिम रूप से चयन हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे।

9.10 परीक्षा व साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. <u>अधिमानता</u> :–

10.1 लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए Shortlisted अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय महाविद्यालयवार वरीयता का विकल्प **परिशिष्ट–4** पर देना होगा। **(अधिमानता प्रपत्र का प्रारूप पोर्टल के "Download Format/डाउनलोड प्रारूप" पर उपलब्ध है)**।

10.2 अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया अधिमानता क्रम उन पर बाध्यकारी होगा।

10.3 पुरुष अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (महिला) अथवा स्नातक (महिला) महाविद्यालयों में अधिमानता /वरीयता क्रम अंकित न करें अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

10.4 महिला अभ्यर्थी स्नातकोत्तर एवं स्नातक (महिला/पुरुष), चारों प्रकार के महाविद्यालयों के लिए अधिमानता/वरीयता क्रम इंगित कर सकती है।

10.5 विधि महाविद्यालय में मात्र विधि विषय के ही अभ्यर्थी अधिमानता/वरीयता क्रम इंगित कर सकेंगे।

10.6 शिक्षण प्रशिक्षण (B.Ed.) महाविद्यालयों के लिए मात्र शिक्षण प्रशिक्षण (B.Ed.) महाविद्यालयों के प्राचार्य पद के अभ्यर्थी ही अधिमानता/वरीयता क्रम इंगित कर सकेंगे।

10.7 उपर्युक्त प्रस्तर संख्या 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 में अंकित शर्तों के अधीन अभ्यर्थी महाविद्यालयों में अधिमानता/वरीयता क्रम इंगित कर सकते है अन्यथा स्थिति में

निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आंवटित महाविद्यालय ही उन्हें स्वीकार करना होगा।

10.8 प्रस्तर संख्या 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 में अंकित शर्तों के अधीन स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का आवंटन, अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अधिमानताक्रम को ध्यान में रखते हुए योग्यता क्रम में, निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार स्नातक महाविद्यालयों का आवंटन योग्यताक्रम में ठीक नीचे वाले अभ्यर्थियों को निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा किया जाएगा।

11. <u>साक्षात्कार के लिए निर्देश</u> :–

11.1 लिखित परीक्षा के अंको के आधार पर साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्टेड (Shortlisted) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान की सूचना SMS, ई–मेल समाचार पत्र एवं आयोग की वेबसाईट www.upessc.up.gov.in के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा।

11.2 साक्षात्कार की सूचना प्राप्त होने पर साक्षात्कार के लिए Shortlisted अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाईट www.upessc.up.gov.in पर जाकर साक्षात्कार पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा।

11.3 साक्षात्कार के लिए Shortlisted ऐसी महिला अभ्यर्थी जो महिला महाविद्यालयों में नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं, को इसकी घोषणा **परिशिष्ट–5** पर उपलब्ध प्रारूप पर साक्षात्कार के समय देनी होगी।

11.4 साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि पर **परिशिष्ट–6** पर उपलब्ध प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा।

11.5 आनलाइन आवेदन पत्र की दो प्रतियों के साथ–साथ आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में निम्नांकित अंकपत्र, प्रमाण–पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित दो–दो प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होगीं।

1. आनलाइन आवेदन पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
2. महाविद्यालयों का अधिमानता/वरीयता क्रम की स्व–प्रमाणित दो प्रतियां **परिशिष्ट–4** पर
3. महिला अभ्यर्थियों के लिए, जो स्नातकोत्तर व स्नातक महिला विद्यालयों में नियुक्ति की इच्छुक नहीं हैं, सम्बन्धी घोषणा पत्र **परिशिष्ट–5** पर।
4. हाईस्कूल अंक पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
5. हाईस्कूल प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
6. इण्टरमीडिएट अंक पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
7. इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
8. स्नातक प्रथम वर्ष अंक–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
9. स्नातक द्वितीय वर्ष अंक–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
10. स्नातक तृतीय वर्ष अंक–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
11. स्नातक प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
12. बी०एड० अंक–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
13. बी०एड० प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
14. एल0एल0बी0 अंक–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
15. एल0एल0बी0 प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
16. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष अंक–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ

17. स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष अंक–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
18. स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
19. एम०एड० अंक–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
20. एम०एड० प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
21. एल0एल0एम0 प्रथम वर्ष अंक–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
22. एल0एल0एम0 द्वितीय वर्ष अंक–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
23. एल0एल0एम0 प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
24. **पी0एच०डी०/डी० फिल** उपाधि की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
25. एम फिल उपाधि की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
26. डी० लिट/डी०एस०सी०/एल०एल०डी० उपाधि की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
27. विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम पंद्रह वर्ष के शिक्षण/शोध/प्रशासन के अनुभव के साथ Associate Professor(Reader) / Professor होने के प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित दो प्रतियाँ
28. अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ (केवल सेवारत् अभ्यर्थियो के लिए)
29. दिव्यांग होने का प्रमाण–पत्र (केवल उ० प्र० राज्य के सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ **(परिशिष्ट–3 पर)**
30. शपथ–पत्र की दो प्रतियाँ **(परिशिष्ट–6 पर)**
31. अन्तिम शिक्षा संस्थान का चरित्र प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
32. दो सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित दो प्रतियाँ
33. मा0 न्यायालय में कोई वाद लम्बित होने अथवा न होने एवं वाद दायर होने की स्थिति में मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने अथवा न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र

नोट :

1. साक्षात्कार के लिए Shortlisted अभ्यर्थियों द्वारा उपर्युक्त सभी अंक पत्रों व प्रमाणपत्रों एवं अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के दो पृथक–पृथक सेट तथा उक्त समस्त के मूल अभिलेख सत्यापन हेतु क्रमवार साक्षात्कार के समय साथ लाना सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनका साक्षात्कार संभव नहीं होगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
2. साक्षात्कार तिथि में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि में परिवर्तन का अनुरोध न करें।
3. यदि आयोग द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में साक्षात्कार तिथि में कोई परिवर्तन किया जाता है तो तत्संबंधी सूचना सम्बंधित अभ्यर्थियों को SMS/E-mail /पोर्टल/वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी ।
4. साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को दैनिक–भत्ता/यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।
5. ऐसे वांछित अभिलेख, जो कि अभ्यर्थी से सम्बंधित नहीं है, संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
6. **परिशिष्ट–1, परिशिष्ट–2, परिशिष्ट–3, परिशिष्ट–4, परिशिष्ट–5 एंव परिशिष्ट–6** के प्रारूप आयोग के पोर्टल पर "Download Format/डाउनलोड प्रारूप" पर उपलब्ध है।

महाविद्यालयवार

संस्था का विवरण Details of Institutions							पदों का विवरण Details of Post			लम्बवत आरक्षण Vertical Reservation				
Sr.No.	मण्डल	जनपद	महाविद्यालय नाम	संस्था अल्पसंख्यक संस्था है अथवा नहीं? (Yes/No)	संस्था 1.सह-शिक्षा (CO-EDU) महाविद्यालय अथवा 2.महिला (GIRLS) महाविद्यालय अथवा किस रुप में मान्यता प्राप्त है?	संस्था का स्तर	पद का नाम	विषय का नाम	कुल अधियाचित पदों की संख्या	General	SC	ST	OBC	EWS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	AGRA	AGRA	Bhadawar Vidya Mandir P.G. College Bah Agra	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
2		FIROZABAD	Adarsh Krishna College Shikohabad Firozabad	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
3			C.L. Jain College Firozabad	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
4			Lok Rastriya Degree College Jasrana Firozabad	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
5			Mahatma Gandhi Balika Vidyalay P.G. College Firozabad	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
6			Paliwal Degree College Shikohabad Firozabad	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
7			S.R.K. P.G. College Firozabad	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
8			Thakur Biri Singh College Tundala Firozabad	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
9		MAINPURI	National P.G. College Bhogaon Mainpuri	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
10			Shri Chitragupta P.G. College Mainpuri	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
11		MATHURA	K.R. Girls College Mathura	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
12			K.R. Teachers Training College Mathura	No	Co-ed	B.ED	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
13			R.C.A. Girls College Mathura	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
14	ALIGARH	ALIGARH	Shri Varshney College Aligarh	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
15		ETAH	Janta College Parson Etah	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
16		HATHRAS	Saraswati P.G. College Hathras	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
17			Shri Brijendra Janta Degree College Bisawar Hathras	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
18			Shri Rameshwar Das Agrawal Girls College Hathras	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
19		KASGANJ (KANSHIRAM NAGAR)	K.A. P.G. College Kasganj	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
20	AYODHYA	AMETHI [C.S.M. NAGAR]	R.R. P.G. College Amethi	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
21		AYODHYA (FAIZABAD)	Dhodheram P.G. College Seora Ayodhya	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0

22	AZAMGARH	AZAMGARH	Gandhi Shatabdi Smarak P.G. College Koyalsa Azamgarh	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
23			Shri Agrasen Girls College Azamgarh	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
24			Shri Durga Ji P.G. College Chandeshwar Azamgarh	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
25		BALLIA	Amarnath Mishra P.G. College Dubey Chhapra Ballia	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
26			Devendra P.G. College Bilthara Road Ballia	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
27			Gulab Devi Mahila Mahavidyalay Ballia	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
28			Kamla Devi Bajoriya Degree College Dubhar Ballia	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
29			Kunwar Singh P.G. College Ballia	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
30			Mathura College Rasra Ballia	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
31			Shri Murli Manohar Town P.G. College Ballia	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
32			Shri Sudrishti Baba P.G. College Raniganj Ballia	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
33		MAU	Janta College Ranipur Mau	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
34			Maryada Purushottam College Bhursuri Ratanpura Mau	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
35	BAREILLY	BADAUN	G.B. Pant Degree College Kachhla Badaun	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
36			Gindo Devi Mahila Mahavidyalay Badaun	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
37			Nehru Memoriyal Shiv Narayan Dass College Badaun	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
38		BAREILLY	Kanya Mahavidyalay Arya Samaj Bhud Bareilly	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
39	BASTI	BASTI	Pt. Mahadev Shukla krishak P.G. College Gaur Basti	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
40		SIDHARTH NAGAR	Ratansen Degree College Bansi Siddharthnagar	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
41			Shivpati P.G. College Shohratgarh Siddharthnagar	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
42	CHITRAKOOT	BANDA	Atarra P.G. College Atarra Banda	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
43			Pt. Jawahar Lal Nehru College Banda	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
44		CHITRAKUT	Mahamati Prannath College Mau Chirakut	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
45		HAMIRPUR	Bramanand P.G. College Rath Hamirpur	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
46	GORAKHPUR	DEORIA	B.R.D. P.G. College Deoria	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
47			Swami Devanand P.G. College Mathlar Deoria	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
48		GORAKHPUR	Mahavidyalay Bhatwali Bajar Gorakhpur	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
49			National P.G. College Barhalganj Gorakhpur	No	Co-ed	UG/PG	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0

50			Shyameshwar Degree College Sikariganj Gorakhpur	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
51		KUSHINAGAR	Shri Bhagwan Mahaveer College Pawanagar Fajilnagar Kushinagar	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
52		MAHARAJGANJ	Jawahar Lal Nehru Smarak P.G. College Maharajganj	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
53			Lal Bahadur Shastri Smarak Degree College Anandnagar Maharajganj	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
54	JHANSI	JALAUN	Mathura Prasad Degree College Konch Jalaun	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
55	KANPUR NAGAR	AURRAIYA	Janta College Ajeetmal Aurraiya	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
56		ETAWAH	Janata College Bakewar Etawah	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
57		FATEHGARH (FARRUKHABAD)	Badri Vishal College Farrukhabad	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
58			D.N. College Fatehgarh Farrukhabad	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
59			Narayan Arya Kanya Pathshala Degree College Farrukhabad	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
60		KANPUR DEHAT	Ram Swaroop Gram Udhyog P.G. College Pukhrayan Kanpur Dehat	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
61		KANPUR NAGAR	A.N.D. Nagar Nigam Mahila Mahavidyalay Kanpur Nagar	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
62			D.A.V. College Kanpur Nagar	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
63			D.A.V. Training College Kanpur	No	Co-ed	B.ED	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
64			Dayanad College of Law Kanpur Nagar	No	Co-ed	LAW	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
65			Dayanand Girls P.G. College Kanpur	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
66			Jwala Devi Vidya Mandir P.G. College Kanpur	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
67			Professor H.N. Mishra College of Education Kanpur	No	Co-ed	B.ED	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
68			V.S.S.D. College Kanpur	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
69	LUCKNOW	HARDOI	Arya Kanya Degree College Hardoi	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
70		LAKHIMPUR KHIRI	Bhagvandeen Arya Kanya P.G. College Lakhimpur Khiri	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
71		LUCKNOW	Bappa Shri Narayan Vocational P.G. College Lucknow	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
72			Mahila Vidyalaya Degree College Lucknow	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
73			Nari Shiksha Niketan P.G. College Lucknow	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
74			Shashi Bhushan Balika Vidyalay Degree College Lucknow	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
75			Shri Jai Narayan P.G. College Lucknow	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
76		RAEBARELI	Kamla Nehru P.G. College Tejgaon Raibareli	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
77			Sarvoday Vidyapeeth P.G. College Salon Raibareli	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
78		SITAPUR	Hindu Kanya Mahavidyalay Sitapur	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0

79		UNNAO	Dayanand Subhash National P.G. College Unnao	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
80	MEERUT	BAGHPAT	Gandhi Vidya Niketan Degree College Budhpur Ramala Baghpat	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
81		BULAND SHAHAR	Amar Singh College Lakhawati Bulandshahr	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
82			D.A.V. P.G. College Bulandshahr	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
83			D.N. P.G. College Gulaothi BulandShahr	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
84			Digambar P.G. College Dibai Bulandshahr	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
85			J.S. Degree College Sikandrabad Bulandshahr	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
86			N.R.E.C. College Khurja Bulandshahr	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
87		GHAZIABAD	Ginni Devi Modi Girls P.G. College Modinagar Ghaziabad	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
88		MEERUT	Krishak P.G. College Mawana Meerut	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
89			Shri Shaligram Sharma Smarak P.G. College Rasna Meerut	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
90	MIRZAPUR	MIRZAPUR	Kamla Arya Kanya Degree College Mirzapur	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
91	MORADABAD	BIJNOR	G.S. Hindu Degree College Chandpur Siau Bijnor	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
92			R.S.M. College Dhampur Bijnor	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
93			Sahu Jain College Najibabad Bijnor	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
94			Saubhagyavati Bai dani Mahila mahavidyalay Dhampur Bijnor	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
95		MORADABAD	D.S.M. Degree College Kanth Moradabad	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
96			Gandhi Smarak Degree College Surjan Nagar Jainagar Moradabad	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
97			Maharaja Harishchandra P.G. College Moradabad	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
98	PRAYAGRAJ	PRATAPGARH	Dr. Rajeshwar Sevashram College Dhidhui Pratapgarh	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
99			Hemvati Nandam Bahuguna P.G. College Lalganj Pratapgarh	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
100		PRAYAGRAJ	Handia P.G. College Handia Prayagraj	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
101			Prayag Mahila Vidyapeeth Degree College Prayagraj	No	GIRLS	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
102	SAHARANPUR	MUZAFFAR NAGAR	Chaudhari Choturam P.G. College Mazaffar Nagar	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
103			D.A.V. College Muzaffar Nagar	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
104		SHAMLI [PRABUDHHA NAGAR]	R.K. P.G. College Shamli	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
105	VARANASI	GHAZIPUR	Mahatma Gandhi Shati Smarak College Garua Maksudpur Ghazipur	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
106		JAUNPUR	Bayalsi P.G. College Jalalpur Jaunpur	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0

107			G.S. P.G. College Samodhpur Jaunpur	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
108			Kutir P.G. College Chakke Jaunpur	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
109			Nagrik P.G. College Janghai Jaunpur	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
110			Sahkari P.G. College Mihranva Jaunpur	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0
111		VARANASI	Shri Baldev P.G. College Badaganv Varanasi	No	Co-ed	UG/PG College	प्राचार्य		1	1	0	0	0	0

संलग्नक :-

1. सेवा नियमावली चयन प्रक्रिया से संबंधित ✓

☑ प्रेषित ई-अधियाचन में प्रविष्ट की गई सभी प्रविष्टियाँ/विवरण (सेवा नियमावली, आयु में छूट और पदों के आरक्षण की गणना समस्त सुसंगत अधिनियम/नियमावली के अनरूप की गयी है) सत्य हैं।

अधियाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम ---------------------------------

अधिकारी का पदनाम ------------------------------

विभाग/ निदेशालय का नाम - उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

<u>परिशिष्ट–1</u>

SYLLABUS FOR THE WRITTEN EXAM OF PRINCIPAL
(AIDED DEGREE COLLEGE, HIGHER EDUCATION)

<u>PART-A</u> :- GENERAL KNOWLEDGE **40 QUESTIONS**

This part will consist of 40 objective type multiple choice questions each carrying 03 mark. Minimum 03 questions will be set from each unit.

<u>Unit-1</u>

Current Affairs –

- **(i)** Current events of State, National and International importance.
- **(ii)** Personalities in news.
- **(iii)** Games, sports and multi media.
- **(iv)** Science, Technology and environment in contemporary context.

<u>Unit-2</u>

Indian Polity, History, Economy and Geography –

- **(i)** Indian constitution and polity.
- **(ii)** Legal and Constitutional development related with educational system.
- **(iii)** Indian History and national movement.
- **(iv)** Indian Economy.
- **(v)** Basic Indian Geography.

<u>Unit-3</u>

Information and communication Technology (ICT) –

- **(i)** ICT: Advantages, disadvantages and uses.
- **(ii)** Basics of Internet and its applications.
- **(iii)** Developments in Educational Technology.

<u>PART-B</u> :- ADMINISTRATIVE APTITUDE TEST **80 QUESTIONS**

This part will consist of 80 objective type multiple choice questions each carrying 03 mark. Minimum 05 questions will be set from each unit.

<u>Unit-1</u>

Indian Culture and ethics –

- **(i)** Ancient Indian Education.
- **(ii)** Guru-shisya Parampara.
- **(iii)** Indian art & literature.
- **(iv)** India's contribution to world heritage.
- **(v)** Promotion of ethics and values in academic institutions.

<u>Unit-2</u>

Pre and Post Independence Educational Scenario –

- **(i)** Development of Universities after 1850.
- **(ii)** Pre & Post Independent Educational thinkers- **Tilak, Gandhi, Malviya, Swami Vivekanand, Tagore, Radhakrishnan, Kalam.**
- **(iii)** Various Educational Commissions after Independence.
- **(iv)** New Education Policy (NEP).

<u>Unit-3</u>

Higher Education System-

- **(i)** Institutions of higher learning and research in India.
- **(ii)** Formal and Distance Education.
- **(iii)** General and Professional Education.
- **(iv)** Regulatory bodies for higher education with special reference to UGC, NCTE, AICTE, MCI, NAAC, BCI and RCI.

Unit-4

Governance and Administration of Higher Education in U.P. –

- **(i)** University and Colleges: Authorities, Bodies and Boards.
- **(ii)** Service conditions of teaching, non-teaching staff and Principals.
- **(iii)** Recognition and affiliation of colleges.
- **(iv)** Pattern and conduct of examination.
- **(v)** Good Governance in Higher Education with special reference to RTI, IQAC, Prohibition of Ragging and Students Union Election.

Unit-5

Acts, Statutes and Ordinances related to Higher Education-

- **(i)** UP. State Universities Act, 1973.
- **(ii)** U.P. Higher Education Services Commission Act and Regulations.
- **(iii)** University Statues, Ordinances and Regulations.
- **(iv)** UGC Act and Regulations related to appointment and Service Conditions of Teachers.

Unit-6

Financial Management-

- **(i)** Sources of Financial Assistance.
- **(ii)** Financial Management in Colleges.
- **(iii)** Operation of Accounts.
- **(iv)** Budget and Audit System.
- **(v)** Knowledge of Financial handbook related with educational administration.

Unit-7

Rights and Duties of Principal –

- **(i)** Rights and Duties of Principal with reference to different stake holders
- **(ii)** Development and maintenance of facilities and assets.
- **(iii)** Role of Principal in promoting excellence in academic and co-curricular activities.
- **(iv)** Maintenance of discipline and order.

Note :- 1- The candidates will be awarded with three marks for the each correct answer and one negative mark for each incorrect answer.

2- Level of Questions will be 50 percent Average, 30 percent difficult and 20 percent most difficult.

परिशिष्ट–2

शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (API) प्रारूप

शैक्षणिक/शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसेः प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्र.सं.	शैक्षणिक/शोध क्रियाकलाप	विज्ञान/अभियांत्रिकी/कृषि/चिकित्सा/पशु–चिकित्सा विज्ञान संकाय	भाषा/मानविकी/कला/सामाजिक विज्ञान/पुस्तकालय/शिक्षा/शारीरिक शिक्षा/वाणिज्य/प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विधाएं
1.	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	08 प्रति पत्र	10 प्रति पत्र
2.	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गयाः		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	10
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	05
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08	08
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य		
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	03
	पुस्तक	08	08
3.	आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान– अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	05
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या /पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचर्या /पाठ्यक्रम
	(ग) एमओओसी		
	चार चतुर्थांश में पूर्ण एमओओसी का विकास (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 05 अंक/क्रेडिट)	20	20
	प्रति मॉड्यूल/व्याख्यान एमओओसी (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	05
	विषयवस्तु लेखक/एमओओसी के प्रत्येक मॉड्यूल हेतु विषयवस्तु विशेषज्ञ (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	02

	एमओओसी हेतु पाठ्यक्रम समन्वयक (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 02 अंक / क्रेडिट)	08	08
	(घ) ई– विषयवस्तु		
	पूर्ण पाठ्यक्रम / ई पुस्तक हेतु चार चतुर्थांशों में विषयवस्तु का विकास	12	12
	प्रति मॉड्यूल ई– विषयवस्तु (चार चतुर्थाश में विकसित)	05	05
	समग्र पाठ्यक्रम / पत्र / ई–पुस्तक में ई–विषयवस्तु मॉड्यूल के विकास में योगदान (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	02
	संपूर्ण पाठ्यक्रम/ पत्र /ई–पुस्तक हेतु ई– विषयवस्तु का संपादक	10	10
4.	(क) शोध मार्गदर्शन		
	पीएचडी	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि 05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबंध	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि 05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबंध
	एम.फिल./ स्नातकोत्तर शोध प्रबंध	02 प्रति प्रदान की गई उपाधि	02 प्रति प्रदान की गई उपाधि
	(ख) पूरी की गई शोध परियोजनाएं		
	10 लाख से अधिक	10	10
	10 लाख से कम	05	05
	(ग) जारी शोध परियोजनाए		
	10 लाख से अधिक	05	05
	10 लाख से कम	02	02
	(घ) परामर्शत्री सेवाएं	03	03
5.	(क) पेटेंट		
	अंतर्राष्ट्रीय	10	10
	राष्ट्रीय	07	07
	(ख) *नीतिगत दस्तावेज (सं.रा.सं./ यूनेस्को / विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय/संगठन को सौंपे गए)		
	अंतर्राष्ट्रीय	10	10
	राष्ट्रीय	07	07
	राज्य	04	04
	(क) पुरस्कार / अध्येतावृत्ति		
	अंतर्राष्ट्रीय	07	07
	राष्ट्रीय	05	05
6.	*अतिथि व्याख्यान / संसाधक / संगोष्ठियों / सम्मलेनों में पत्र प्रस्तुतीकरण / सम्मलेन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र प्रस्तुत करना (संगोष्ठियों / सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए पत्र और सम्मलेन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र के रूप में प्रकाशित पत्रों की गणना सिर्फ एक बार की जाएगी)		

	अंतर्राष्ट्रीय (विदेश)	07	07
	अंतर्राष्ट्रीय (देश के भीतर)	05	05
	राष्ट्रीय	03	03
	राज्य / विश्वविद्यालय	02	02

सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल (थॉमसन रॉयटर्स की सूची के अनुसार निर्धारित किए जाने बाले प्रभाव कारक) :

i. प्रभाव कारक रहित संदर्भित जर्नल में प्रकाशित पत्र– 05 अंक

ii. 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र– 10 अंक

iii. 1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 15 अंक

iv. 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 20 अंक

v. 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 25 अंक

vi. 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र– 30 अंक

(क) दो लेखक : प्रत्येक लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत

(ख) दो से अधिक लेखकः प्रथम/मूल/संवादी लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत और प्रत्येक संयुक्त लेखकों हेतु प्रकाशन के कुल मान का 30 प्रतिशत

संयुक्त परियोजनाएं : मूल शोधकर्ता और सह– शोधकर्ता में से प्रत्येक को 50 प्रतिशत प्राप्त होगा

<u>नोटः</u>

- यदि संपादित पुस्तक अथवा कार्यवाहियों का भाग के रूप में पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर एक बार ही दावा किया जा सकता है।
- शोध विद्यार्थियों के संयुक्त पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक हेतु सूत्र, कुल प्राप्तांक का 70 प्रतिशत होगा। पर्यवेक्षक और सह–पर्यवेक्षक दोनों में से प्रत्येक को 7 अंक मिलेंगे।
- शिक्षक के शोध अंकों की गणना करने के प्रयोजनार्थ 5 (ख), नीतिगत दस्तावेज और की श्रेणियों से संयुक्त शोध अंक, आमंत्रित व्याख्याता/संसाधक/पत्र प्रस्तुतीकरण संबंधित शिक्षक के कुल शोध अंकों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत की ऊपरी सीमा होगी।
- शोध प्राप्तांक 6 श्रेणियों में से कम से कम तीन श्रेणियों से होंगे।

<u>परिशिष्ट–3</u>

The form of certificate to be produced by Physically Handicapped candidates

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE / HOSPITAL

CertificateNo.................................. Date:................

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum. …..................................son/wife/daughter of Shri....................................... age .... sex .... identification mark(s)………………

.... is suffering from permanent disability of following category:

A. Locomotor or Cerebral Palsy :

(i) BL—Both legs affected but not arms

(ii) BA—Both arms affected
(a) Impaired reach
(b) Weakness of grip

(iii) BLA—Both legs and both arms affected

(iv) OL—One leg affected (rightorleft)
(a) Impaired reach
(b) Weakness of grip
(c) Ataxic

(v) OA—One arm affected
(a) Impaired reach
(b) Weakness of grip
(c) Ataxic

(vi) BH—Stiff back and hips (can not sit or stoop)

(vii) MW—Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

(i) B—Blind

(ii) PB—Partially blind

C. Hearing impairment:

(i) D—Deaf

(ii) PD—Partially deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of................ years .... months.*

3. Percentage of disability in his/her case is .... Per cent.

4. Shri/Smt./Kum. ....meets the following physical requirements for discharge of his/her duties:—

(i)	F—Can perform work by manipulating with fingers.	Yes/No
(ii)	PP—Can perform work by pulling and pushing.	Yes/No
(iii)	L—Can perform work by lifting.	Yes/No
(iv)	KC—Can perform work by kneeling and crouching.	Yes/No
(v)	B—Can perform work by bending.	Yes/No
(vi)	S—Can perform work by sitting.	Yes/No
(vii)	ST—Can perform work by standing.	Yes/No
(viii)	W—Can perform work by walking.	Yes/No
(ix)	SE—Can perform work by seeing.	Yes/No
(x)	H—Can perform work by hearing /speaking.	Yes/No
(xi)	RW—Can perform work by reading and writing.	Yes/No

(Dr. ....)	(Dr. ....)	(Dr. ....)
Member	Member	Chairman
Medical Board	Medical Board	Medical Board

Countersigned by the Medical Superintendent /CMO /Head of Hospital
(Withseal)

NOTE* Strike out which is not applicable

परिशिष्ट–4

महाविद्यालयों का अधिमानता/वरीयता क्रम

अभ्यर्थी का नामः (हिन्दी में) ....

अंग्रेजी में (Capital Letters) ....

पद .... अनुक्रमांक ....

विज्ञापन संख्या–....................... में विज्ञापित स्नातकोत्तर एवं स्नातक (पुरुष/महिला) महाविद्यालयों में प्राचार्य के पदों के प्रति मैं स्वयं की नियुक्ति हेतु निम्न महाविद्यालयों की अधिमानता/वरीयता क्रम इंगित करता हूँ/करती है।

अधिमानता क्रमांक	महाविद्यालयों के नाम	स्नातकोत्तर (पुरूष) अथवा स्नातकोतर (महिला) अथवा स्नातक (पुरूष) अथवा स्नातक महिला	विज्ञापित सारिणी 01 में अंकित महाविद्यालय का क्रमांक
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

25			
26			
27			
28			
29			
30			

ध्यातव्य–

1. मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त अधिमानता/वरीयताक्रम मेरा अन्तिम विकल्प है।

स्थान...

दिनांक .... आवेदक का नाम/पूर्ण हस्ताक्षर

निर्देश–

1. पुरुष अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (महिला) अथवा स्नातक (महिला) महाविद्यालयों में अधिमानता/वरीयता क्रम अंकित न करें अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा ।
2 महिला अभ्यर्थी स्नातकोत्तर एवं स्नातक (महिला/पुरुष), चारों प्रकार के महाविद्यालयों के लिए अधिमानता/वरीयता क्रम इंगित कर सकती है।
3. विधि महाविद्यालय में मात्र विधि विषय के ही अभ्यर्थी अधिमानता/वरीयता क्रम इंगित कर सकेंगे।
4. शिक्षण प्रशिक्षण (B.Ed.) महाविद्यालयों के लिए मात्र शिक्षण प्रशिक्षण (B.Ed.) महाविद्यालय के प्राचार्य पद के अभ्यर्थी ही अधिमानता/वरीयता क्रम इंगित कर सकेंगे।
5. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 4 में अंकित शर्तों के अधीन अभ्यर्थी महाविद्यालयों में अधिमानता/वरीयता क्रम इंगित कर सकते हैं अन्यथा की स्थिति में निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आवंटित महाविद्यालय ही उन्हें स्वीकार करना होगा।
6. बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 4 में अंकित शर्तों के अधीन स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए अधिमानताक्रम को ध्यान में रखते हुए योग्यताक्रम में निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार स्नातक महाविद्यालयों का आवंटन योग्यताक्रम में ठीक नीचे वाले अभ्यर्थियों को निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा किया जायेगा।

परिशिष्ट–5

(मात्र ऐसी महिला अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर एवं स्नातक (महिला) महाविद्यालयों में नियुक्ति की इच्छुक नहीं हैं, को इस प्रपत्र पर घोषणा–पत्र देना होगा।)

घोषणा–पत्र

मैं.. अनुक्रमांक.......................... विज्ञापन संख्या– .... के अन्तर्गत विज्ञापित स्नातक / स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य के पद की अभ्यर्थिनी हूँ। उक्त विज्ञापन के अन्तर्गत मेरी वरीयता (Choice) महिला महाविद्यालयों से इतर अन्य महाविद्यालयों के लिए है जो अलग निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–4) में महाविद्यालयों के नाम अंकित कर दिये गये हैं। प्राचार्य पद पर चयनोपरान्त मैं स्नातकोत्तर एवं स्नातक (महिला) महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नहीं हूँ।

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

परिशिष्ट–6

शपथ–पत्र

1. मैंने विज्ञापन संख्या– ....में विनिहित अनुदेश/निर्देश को भली भाँति पढ़कर ही ऑन–लाइन आवेदन किया है और मैं उक्त सभी अनुदेशों/निर्देशों का पूर्णतः पालन करूँगा/करूँगी।

2. ऑन–लाइन आवेदन पत्र में अंकित सभी प्रविष्टियाँ मेरे द्वारा स्वयं भरी गयी है, जो तथ्यात्मक, सत्य एवं पूर्ण है। आवेदन–पत्र में की गयी सभी प्रविष्टियाँ एवं आयोग को उपलब्ध करायी गयी स्वप्रमाणित संलग्नकों में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा फर्जी पाये जाने पर मैं स्वयं का उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

3. किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा मुझे किसी भी प्रकार के कदाचार के लिए न तो दंडित किया गया है और न ही किसी भी नियुक्ति हेतु आवेदन करने से प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक मामला न तो दर्ज है और न ही प्रचलित है।

4. विज्ञापन संख्या– .... के चयन से सम्बन्धित योजित वादों में मा0 उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पूर्णतया पालन करूँगा/करूँगी। चयन के उपरान्त अन्यथा की स्थिति उत्पन्न होने पर आयोग से किसी प्रकार के वित्तीय अनुतोष की माँग नहीं करूँगा/करूँगी

5. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई सभी प्रविष्टियाँ एवं उपलब्ध कराये गये सभी अभिलेख/प्रमाण–पत्र सही हैं। आनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियाँ अथवा आयोग को उपलब्ध कराये गये अभिलेख/प्रमाण–पत्र फर्जी/असत्य पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन/चयन निरस्त करने अथवा भविष्य में अन्य विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने से प्रतिबन्धित करने का आयोग को पूर्ण अधिकार होगा। आयोग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही के लिये मैं किसी भी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।

प्रार्थी